न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एसः—2025 / 305
मुकदमा नम्बरः— 97 / 2025

दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।
वादी

बनाम

तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुनूं।

प्रतिवादी ....

दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय दिनांकः— 12.11.25

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम बांय पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.28 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी 1/6 हिस्सें का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर दर्ज रिकार्ड है जो कि गलत दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा है। राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में वादी का नाम सही नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा दर्ज है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बायं पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.28 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर के बजाय दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा घोषित किया जाना प्रार्थनीय है।

वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस वाद पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम बांय पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.28 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी 1/6 हिस्सें का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर दर्ज रिकार्ड है जो कि गलत दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा है। राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भूमि पासबुक, विद्युत बिल, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, में वादी का नाम सही नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम बायं पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.28 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर के बजाय दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा घोषित किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 राजस्व ग्राम बांय पटवार हल्का बायं तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 432 के राजस्व रिकार्डमें में वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, भूमि पासबुक, विद्युत बिल, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा है तथा दीनदयाल पुत्र केशर एवं दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि/ताईद होती है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वादी प्रथम दृष्टया वादपत्र साबित करने में सफल रहे है। उक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.2800 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर के बजाय दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.11.25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नलवगढ

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एसः–2025 / 305
मुकदमा नम्बरः– 97 / 2025

दिनदयाल　　　　बनाम　　　　तहसीलदार

<u>दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड</u>

निर्णय दिनांकः -12.11.25-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्ययालय श्री कुलदीप सिंह शेखावत आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ब हाजिरी पक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 432 रकबा 1.2800 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम दीनदयाल पुत्र केशर के बजाय दिनदयाल पुत्र केदारमल शर्मा घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज..–............–................ मुबलिक –.......–....................... दाबन.–..............................–.............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –...........–.............फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................–...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.25 को जारी की गई।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)